दिनांक–17.06.2013 को विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, राँची प्रक्षेत्राधीन योजनाओं की समीक्षा हेतु सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

(1) सुकरी जलाशय योजना (टर्न–की) (जिला – लोहरदगा, प्रखण्ड – किस्कू)

संवेदक – पालू कन्सट्रक्शनस

- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 935.00 लाख है।
- वर्ष 2012–13 तक व्यय– रू0 522.007 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन– रू0 194.35 लाख
- मई 2013 तक व्यय– रू0 0.00 लाख
- सिंचाई क्षमता – 400.00 हे0
- एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि–दिनांक 18.10.2008 से दिनांक 17.10.2010 तक। अविध विस्तार–दिनांक 30.06.2012 तक

कार्य की प्रगति – वर्त्तमान में अभी तक हेडवर्क में 65% कार्य हुआ है। River Closure नहीं हुआ है। हेडवर्क्स का भू–अर्जन कार्य हो गया है। मुख्य नहर की लम्बाई साढ़े छः कि0मी0, जिसका भू–अर्जन का कार्य अन्तिम चरण में है। योजना में वितरणी नहीं है, केवल उप वितरणी (Minors) का निर्माण किया जाना है। संवेदक द्वारा River Closure का कार्य नहीं किया जा रहा है, मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि योजना का कार्य 31 मार्च 2014 के पहले पूर्ण होने की संभावना नहीं है। जबकि योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2013 था।	निदेश– (i) मुख्य अभियंता, राँची सम्पूर्ण मामले की समीक्षा पुनः करें एवं यदि आवश्यक हो तो एकरारनामा को विखण्डित कर नई निविदा करने का निर्णय लें। कार्य 31 दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का प्रयास किया जाय। (कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)

(2) काँटी जलाशय योजना (टर्न–की) (जिला – खूँटी , प्रखण्ड – कर्रा)

संवेदक – त्रिवेणी इन्जिकॉन प्राईवेट लिमिटेड, जमशेदपुर

- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 11316.528 लाख
- वर्ष 2012–13 तक व्यय– रू0 0.46 लाख

इस योजना में डैम, स्पीलवे, आउटलेट एवं नहर का निर्माण टर्न–की पर किया जाना था। जन विरोध के कारण यह योजना बन्द की जा चुकी है। भुगतान के संबंध में संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया है।	निदेश– माननीय उच्च न्यायालय में संवेदक द्वारा दायर किये गये याचिका के विरूद्ध शीघ्र प्रतिशपथ–पत्र दायर किया जाय या संवेदक से मीटिंग कर Out of Court settlement किया जाय। (कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची

2. मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर किया जा रहा है।	

(3) राढ़ू जलाशय योजना (जिला– राँची, प्रखण्ड– सिल्ली)

Consultant – Aarvee Consultant, Hyderabad

कार्य का नाम – राढ़ू जलाशय योजना का विस्तृत सर्वेक्षणोपरांत डी0पी0आर0 तैयार करने का कार्य।

यह एक नई प्रस्तावित योजना है जिसका सर्वे करा कर डी0पीआर0 कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार किया गया है।

- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 145.00 लाख है।
- वर्ष 2012–13 तक व्यय– रू0 78.74 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन– रू0 0.00 लाख
- मई 2013 तक व्यय– रू0 0.00 लाख

(i) सी0डब्लू0सी0, नई दिल्ली को डी0पी0आर0 की 12 प्रतियाँ उपलब्ध करा दी गयी है। (ii) इस योजना का विभिन्न अवयवों का Design-Drawing की हार्ड कॉपी एवं Soft Copy केन्द्रीय रूपांकण संगठन, राँची (CDO) को उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी जाँच उनके द्वारा की जा रही है।	**निदेश** – (i) C.D.O. राँची Design-Drawing पर अपने Comments इस महीने के अन्दर C.W.C. New Delhi को भेजकर अनुपालन दें। (ii) इस कार्य की मोनेटरिंग मुख्य अभियंता, राँची के सचिव (प्रावैधिक) एवं नई दिल्ली में विभाग के सम्पर्क पदाधिकारी श्री ए०के० सिन्हा करेंगे। (iii) वनभूमि अपयोजन के बारे में अविलम्ब कार्रवाई की जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/मुख्य अभियंता , मोनिटरिंग)**

(4) कीता सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन कार्य (जिला– राँची, प्रखण्ड– सिल्ली)

- संवेदक – अवधेश सिंह कन्सट्रक्सन
- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 264.98 लाख है। (19.11.2010)
- वर्ष 2012–13 तक व्यय– रू0 48.78 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन– रू0 136.00 लाख
- वर्ष 2013–14 में व्यय– रू0 0.00 लाख
- योजना की सिंचाई क्षमता – 220 हे0

कार्य की प्रगति – इस योजना में मुख्यतः मुख्य नहर के लाईनिंग का कार्य कराना है। कुल 5.50 कि0मी0 में से मार्च 2013 तक 1.72 कि0मी0 में कार्य कराया गया। कार्य जून 2013 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया और इसके लिये कार्य स्थल पर कम से कम छः Mixer मशीन लगातार कार्य हर हालत में जून 2013 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया। संवेदक द्वारा एक undertaking दिया गया, जिसमें कार्य को 30 जून तक पूरा करने का उल्लेख है, परन्तु कार्य की प्रगति अच्छी नहीं हैं और Pace of work पर्याप्त नहीं है। 10 जून 2013 तक कुल 2.20 कि०मी० में लाईनिंग कार्य किया गया है।	निदेश – (i) मुख्य अभियंता, राँची सम्पूर्ण मामले की समीक्षा पुनः करें एवं यदि आवश्यक हो तो एकरारनामा को विखण्डित कर नई निविदा करने का निर्णय लें। कार्य 31 दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का प्रयास किया जाय। (ii) विभिन्न legal aspect को देखते हुए एकरारनामा की शर्त्तों के अनुरूप कार्य प्रगति नहीं होने की दशा में Model Notice मोनेटरिंग शाखा के द्वारा draft किया जाय तथा विभाग से इसका अनुमोदन प्राप्त किया जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता(मो०) / कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्र०, राँची)**

(5) नन्दनी जलाशय योजना – **(जिला– लोहरदगा, प्रखण्ड– भन्डरा)**

- कार्य – चेन 92.00 पर क्षतिग्रस्त एक्वाडक्ड का जिर्णोद्धार कार्य
- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 57.019 लाख है। (मार्च 2012)
- वर्ष 2012–13 तक व्यय– रू0 39.43 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन– रू0 0.00 लाख
- वर्ष 2013–14 में व्यय– रू० 0.00 लाख
- योजना की सिंचाई क्षमता – 3250.00 हेक्टेयर

मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि (i) संरचना कार्य की प्रगति धीमी रहने के कारण मार्च 2013 तक कार्य पूरा नहीं हो सका। इसे जुलाई 2013 तक हर प्रकार से पूर्ण करा लिया जायेगा। Trough ढलाई के लिये Shuttering खड़ा कर दिया गया है।	निदेश– (i) संरचना कार्य हर हालत में 31 जुलाई 2013 तक पूर्ण कराया जाय। इस अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर इसके लिये जिम्मेवार के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। (ii) संबंधित अभियंता के द्वारा कार्य का लगातार मोनिटरिंग किया जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची /अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, राँची)**

(6) पारस जलाशय योजना – (जिला गुमला प्रखण्ड – भरनो)

➢ सिंचाई क्षमता – 3400.00 हेक्टेयर

(i) सर्वे कार्य कराकर प्रमण्डल द्वारा इस योजना के पुनर्स्थापन कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। मुख्य अभियंता, राँची को अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। दो दिनों में विभाग को समर्पित कर दिया जायेगा।	**निदेश**– (i) मुख्य अभियंता द्वारा डी0पी0आर0 25 जून 2013 तक विभाग को उपलब्ध कराया जाय। पुनर्स्थापन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति 30 जून तक दिया जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, मोनिटरिंग)**

(7) बुचा ओपा जलाशय योजना – (जिला – लोहरदगा प्रखण्ड – चान्हो)

➢ सिंचाई क्षमता – 775 हे0

योजना के पुनर्स्थापन कार्य का प्राक्कलन तैयार हो गया है, अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, राँची / मुख्य अभियंता, राँची द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया है। उनके द्वारा पाया गया कि बाँध के Shaft Spillway का Trash Rack ठीक से काम कर रहा है। अधीक्षण अभियंता, रूपांकण, डॉ० डी०के०सिंह कल site visit करेंगे। 25 जून तक विभाग को प्रस्तुत करेंगे।	**निदेश**– (i) SE. Design दिनांक 18.06.2013 को Site visit करेंगे जिसके आलोक में योजना के पुनर्स्थापन कार्य का प्राक्कलन 25 जून 2013 तक विभाग को समर्पित करें। (ii) 30 जून तक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई की जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची / अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची)**

(8) धुर्वा कॉलोनी का मरम्मति कार्य एवं बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कार्य –

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि – रू0 56.00 लाख

इस कार्य हेतु प्रथम बार आमंत्रित निविदा में किसी निविदादाता द्वारा भाग नही लिया गया। दूसरी बार आमंत्रित निविदा दिनांक 17.06.2013 को खोली जानी थी, परन्तु इसमें भी कोई निविदा नहीं प्राप्त हुई है।	**निदेश** – शीघ्र पुनः निविदा आमंत्रित की जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)**

(9) काँची वीयर शीर्ष का पुनर्निर्माण कार्य (जिला – खूँटी, प्रखण्ड – अड़की)

- संवेदक – मेगोटिया कन्सट्रक्सन प्रा०लि०, जमशेदपुर
- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 909.62 लाख है। (10.07.2009)
- वर्ष 2012–13 तक व्यय– रू0 857.24 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन– रू0 118.06 लाख
- वर्ष 2013–14 में व्यय– रू0 0.00 लाख
- सिंचाई क्षमता – 16000 हे0

कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू द्वारा बताया गया कि वीयर का कार्य पूर्ण है। Apron का कार्य हो गया है सभी गेट लग गया है। 1st cut off का कार्य हो गया है। IInd cut off में कार्य चल रहा है। IIIrd cut off का कार्य लगभग पूर्ण होने को है। लगभग 1500 अद्द C.C. Block में से 60% का निर्माण हो गया है। 15 जुलाई 2013 तक cut off एवं C.C. Block का कार्य पूरा हो जायेगा। उसके नीचे Pitching का कार्य वर्षात के बाद कराया जायेगा। दिसम्बर 2013 तक योजना का कार्य पूरा हो जायेगा।	**निदेश** – (i) प्रभारी अधीक्षण अभियंता नियमित रूप से Site visit कर कार्य की प्रगति पर नजर रखेंगे। (ii) खरीफ 2013 में इस योजना से 15000 हे० में सिंचाई सुविधा पुनर्बहाल करने का निदेश दिया गया। (iii) कार्य को हर हालत में दिसम्बर 2013 तक पूर्ण कराकर विभाग को सूचित किया जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्र०, बुण्डू)**

(10) काँची मुख्य नहर का Lining सहित पुनर्स्थापन कार्य

- संवेदक – हारविन्स कन्सट्रक्सन प्रा०लि, हैदराबाद
- निविदित राशि – रू० 3712.665 लाख
- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 4019.95 लाख है।
- वर्ष 2012–13 तक व्यय– रू0 0.00 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन– रू0 0.00 लाख
- वर्ष 2013–14 में व्यय– रू0 0.00 लाख

(i) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची द्वारा बताया गया कि 22.04.2013 को एकरारनामा कर लिया गया है। संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। मुख्य नहर की	**निदेश** – (i) कार्य को निर्धारित अवधि से कम समय में पूरा करने का प्रयास किया जाय। संवेदक के

पूरी लम्बाई 18.40 कि०मी० में लाईनिंग का कार्य पूरा किया जाना। 0.0 से 1.80 कि०मी० तक कार्य प्रगति पर है। (ii) लगभग 400 मीटर की लम्बाई में नहर के बेड में लाईनिंग का कार्य किया गया है। (iii) कार्य पूर्ण करने की एकरारित अवधि 30 (तीस) महीना है।	साथ बैठक कर कार्य को Schedule से पहले पूरा करने का कार्यक्रम तैयार किया जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची)**

निदेश – विशेष सचिव द्वारा परामर्श दिया गया कि नहर के लाईनिंग कार्य में अगर नहर के बेड में लाईनिंग नहीं किया जाय तो उसके क्या प्रभाव होंगे और क्या लाभ–हानि होंगे, इसकी समीक्षा की जाय।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, CDO द्वारा IS Code के आलोक में समीक्षा किया जाय।)

(11) सुरंगी जलाशय योजना (जिला – राँची, प्रखण्ड – तमाड़)

- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 4117.30 लाख है। (18.01.2001)
- वर्ष 2013–14 तक व्यय– रू0 4466.082 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन– रू० 12.00 लाख
- मई 2013 तक व्यय– रू० 0.00 लाख
- सिंचाई क्षमता – 2600 हेक्टेयर

(i) दायाँ आउटलेट गेट मरम्मति का कार्य करा दिया गया है। Leakage काफी कम हो गया है। बायाँ आउटलेट का Leakage अभी बंद नहीं हुआ है। (ii) कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू द्वारा बताया गया कि NH के Widening के कारण योजना के तमाड़ वितरणी के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा। (iii) मार्च 2013 तक 1000 हेक्टेयर एवं जून 2013 तक 2000 हे0 तथा जून 2014 तक पूरी क्षमता में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। (iv) मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि माह जुलाई में योजना का उद्घाटन कराया जा सकता है।	**निदेश** – (i) गेट मरम्मति का कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। (ii) योजनान्तर्गत वनभूमि के Stage-II Clearance के लिए Stage-I Clearance की सभी शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन तुरन्त संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को भेजा जाय। (iii) गुमला के चिन्हित land Bank से योजना हेतु क्षतिपूरक गैर वन भूमि का details गुमला के हल्का कर्मचारी से सम्पर्क कर प्राप्त किया जाय। कार्यपालक अभियंता, बुण्डू किसी J.E. को प्रतिनियुक्त कर कार्रवाई करें। मुख्य अभियंता अपने स्तर से मोनिटरिंग करेंगे। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, यॉत्रिक, राँची / मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची)**

(12) रैसा जलाशय योजना (जिला – राँची, प्रखण्ड – बुण्डू)

- संवेदक – विजेता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, मोराबादी, राँची (शीर्ष कार्य)
- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 6778.42 लाख है। (10.07.2009)
- वर्ष 2012–13 तक व्यय– रू0 4116.29 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन– रू0 800.50 लाख
- वर्ष 2013–14 तक व्यय– रू० 111.32 लाख
- योजना को वर्ष 2013–14 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।
- सिंचाई क्षमता – 3140 हे0

कार्य की प्रगति

(i) मिट्टी बाँध का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्पिलवे Right Abutment का कार्य प्रगति पर है। (ii) पूर्व बैठक में दिये गये निदेश के क्रम में मुख्य अभियंता, यॉत्रिक/कार्यपालक अभियंता, यॉत्रिक प्रमण्डल, राँची द्वारा स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया। अधीक्षण अभियंता, यॉत्रिक, राँची द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पहले उनके द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया है। Out let well का निर्माण Ground level से 1–2 फीट उपर तक हुआ है, पुनः 1–2 दिनों में स्थल निरीक्षण किया जायेगा। इनके द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात् प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। (iii) योजना के डूब क्षेत्र में 447 एकड़ मुंडारी खूँटकट्टी जमीन के बारे में भू–राजस्व विभाग से परामर्श प्राप्त हुआ है कि अगर मुंडारी खूँटकट्टी जमीन Forest Notified हो गया है तो इसका अपयोजन करना होगा। विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची द्वारा बताया गया कि 301.99 एकड़ अधिसूचित वनक्षेत्र है। (iv) मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि डूब क्षेत्र में तथाकथित वनभूमि पर रैयतों का दावा है एवं Lower Court से उनके पक्ष में फैसला दिया गया है, जिसके विरूद्ध वन विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया है।	**निदेश** –(i) AIBP के अन्तर्गत Funding की स्वीकृति के क्रम में जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उठाये गये विन्दुओं का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र सी०डब्ल्यू०सी० नई दिल्ली को भेजा जाय। (ii) कार्यपालक अभियंता, यॉत्रिक प्रमण्डल, राँची एवं मुख्य अभियंता, यॉत्रिक, राँची द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है। वे स्थल निरीक्षण करें। (iii) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव तुरन्त तैयार किया जाय। क्षतिपूरक गैर वन भूमि का प्रस्ताव गुमला में चिन्हित Land Bank से किया जाय। कार्यपालक अभियंता संबंधित DFO से सम्पर्क कर त्वरित कार्रवाई करेंगे और एक माह के अन्दर वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित करेंगे। (iv) LMC का I.R. अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, राँची द्वारा एवं RMC का I.R. मुख्य अभियंता, राँची द्वारा 7 जुलाई 2013 तक अनुमोदित किया जाय। (v) मुख्य नहरों के I.R. की स्वीकृति एवं भू–अर्जन प्लान समर्पित करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मुख्य अभियंता द्वारा सतत् मोनिटरिंग की जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची / मुख्य अभियंता, यॉत्रिक, राँची / अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची / कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्र०, बुण्डू / कार्यपालक अभियंता, यॉत्रिक प्र०, राँची)**

(v) कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि बाँयीं मुख्य नहर का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। दाँयीं मुख्य नहर का सर्वेक्षण कार्य 25.06.2013 तक करा लिया जायेगा।	

(13) काँची सिंचाई योजना में CAD का कार्य –

- वर्ष 2013–14 में आवंटन – रू० 0.00 लाख
- वर्ष 2012–13 में व्यय – रू० 0.00 लाख
- एकरारनामा की राशि – रू० 158.00 लाख

WAPCOS द्वारा इस कार्य का डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है, जो अब तक तैयार नहीं हुआ है। अधीक्षण अभियंता, डा0 डी0के0 सिंह द्वारा बताया गया कि WAPCOS के साथ वे बराबर सम्पर्क में हैं उनके द्वारा बताया गया कि Water User Association अभी तक Registered नहीं हुआ है और इसके बिना CAD का Implementation नहीं हो पायेगा। WUA की उपस्थिति में ही CAD का कार्य कराना है। WAPCOS को दिये गये कार्य में Correction of system deficiency के सर्वे का कार्य शामिल नहीं था।	**निदेश –** (i) कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू Water User Association के formation एवं registration हेतु अविलम्ब कार्रवाई करेंगे। (ii) Correction of system deficiency के कार्य के लिये Survey का कार्य WAPCOS से कराने हेतु मुख्य अभियंता, राँची एवं मुख्य अभियंता, WAPCOS बैठक कर इस अतिरिक्त कार्य का दर तय करेंगे। (iii) प्रत्येक प्रमण्डल के कार्यों को पुनः निर्धारित करते हुए प्रत्येक प्रमण्डल से एक अवर प्रमण्डल को CAD का कार्य पूरे प्रमण्डल में करने हेतु कार्य आवंटन किया जाय। CAD के कार्यों के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की Website से प्राप्त कर ली जाय। **(कार्रवाईः मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०,राँची / अधीक्षण अभियंता, डॉ डी०के०सिंह / कार्य० अभि०, सिं० प्र०, बुण्डू)**

निदेश – सभी मुख्य अभियंता अपने अपने प्रक्षेत्र में प्रत्येक प्रमण्डल के एक अवर प्रमण्डल को CAD के कार्य हेतु Notify करेंगे और उस अवर प्रमण्डल का कार्य क्षेत्र केवल CAD कार्य के लिये ही निर्धारित किया जाय। कार्रवाई कर विभाग को सूचित करेंगे। इस हेतु अभियंता प्रमुख–I प्रस्ताव लाकर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त करें।

(कार्रवाईः सभी मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०,राँची / अभियंता प्रमुख–I,ज०सं०वि०, राँची)

(14) कोकरो सिंचाई योजना (लाईनिंग) (जिला – राँची , प्रखण्ड –सोनाहातू)

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू0 1102.868 लाख है। (22.01.2011)
- एकरारनामा की राशि – 1293.69 लाख
- वर्ष 2012–13 तक व्यय – रू0 159.97 लाख

- वर्ष 2013–14 में आवंटन – रू0 500.00 लाख
- वर्ष 2013–14 में व्यय – रू० 0.00 लाख
- सिंचाई क्षमता – 3490 हे०, FSD –4 फीट, Discharge – 110 क्यूसेक
- कार्य पूर्ण करने की एकरारित तिथि – 31.03.2013

कार्य की प्रगति –

(i) योजना में मुख्यतः मुख्य नहर के लाईनिंग का कार्य है। बताया गया कि कुल 16.40 कि०मी० के लाईनिंग कार्य में से अब तक 4.15 कि०मी० का कार्य कराया गया है। संवेदक द्वारा कार्य को जून 2013 तक पूर्ण करने का Undertaking दिया गया है, परन्तु कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। (ii) मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्य को पूरा करने हेतु संवेदक द्वारा अभिरूचि नहीं ली जा रही है, इसलिए एकरानामा की शर्त्तों के अनुसार एकरारनामा का विखण्डित करने का निदेश क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिया गया है।	**निदेश** : एकरारित अवधि खत्म होने के बाद भी लगभग 25% कार्य सम्पन्न किया गया है। मुख्य अभियंता, राँची सम्पूर्ण मामले की समीक्षा पुनः करे एवं यदि आवश्यक हो तो एकरारनामा को विखण्डित कर नई निविदा करने का निर्णय लें। कार्य 31 दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का प्रयास किया जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्र०, बुण्डू)**

(15) तजना जलाशय योजना (टर्न–की) (जिला – खूँटी, प्रखण्ड–खूँटी)

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू0 7441.76 लाख है। (22.02.2008)
- वर्ष 2012–13 तक व्यय – रू0 500.23 लाख (भू–अर्जन कार्य में)
- वर्ष 2013–14 में आवंटन – रू० 0.00
- मई 2013 तक व्यय – रू० 0.00
- सिंचाई क्षमता – 5600 हे0

कार्य की प्रगति –	निदेश –
(i) Dam Axis अगस्त 2012 में Fix कर दिया गया है। (ii) भू–अर्जन का प्रस्ताव विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी को समर्पित है। (iii) योजना के भू–अर्जन कार्य हेतु रू0 5.00 करोड़ की राशि मार्च 2013 में विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी है। (iv) भू–अर्जन मापी कार्य के सुचारू रूप से संचालन हेतु उपायुक्त, खूँटी द्वारा एक दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है एवं भू–अर्जन मापी का कार्य चल रहा है। इसके बाद धारा–4 में भू–अर्जन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।	(i) गैर मजरूआ जमीन में कार्य प्रारम्भ कराने हेतु उपायुक्त, खूँटी से NOC प्राप्त की जाय। (ii) भू–अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लायी जाय और अक्टूबर 2013 में शिलान्यास कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय। **(कार्रवाई : कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्र0, खूँटी/मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची)।**

(16) लतरातु जलाशय योजना का ERM कार्य (जिला – खूँटी, प्रखण्ड– कर्रा, लापुंग)

(i) सर्वे कार्य हो गया है। प्राक्कलन तैयार किया गया है। Hydrology की जाँच की जा रही है। 30 जून तक विभाग को डी०पी०आर० समर्पित कर दिया जायेगा। सिंचाई क्षमता – खरीफ – 5254 हे0	**निदेश** – (i) योजना का ERM का प्रस्ताव CWC को समर्पित करने हेतु CWC के Guideline के अनुसार DPR को अन्तिम रूप देते हुए दिनांक 30.06.2013 तक विभाग को DPR समर्पित किया जाय। (ii) नहर के inner slope में stone brick lining पर विचार किया जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)**

(17) अपरशंख जलाशय योजना (जिला – गुमला, प्रखण्ड – चैनपुर)

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू० 14119.00 लाख है। (30.03.2007)
- वर्ष 2012–13 तक व्यय – रू० 13774.13 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन – रू० 343.15 लाख
- वर्ष 2013–14 में व्यय – रू० 0.00 लाख
- योजना को वर्ष 2013–14 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।
- सिंचाई क्षमता
  बाँयीं मुख्य नहर (LMC) – 4500 हे0
  दाँयीं मुख्य नहर (RMC) – 2790 हे0

कार्य की प्रगति –	निदेश –
(i) मुख्य शीर्ष का कार्य पूर्ण है। दाँयीं एवं बाँयीं मुख्य नहर का कार्य पूर्ण है। (ii) आउटलेट गेट से पानी का रिसाव हो रहा है। गेटों का मरम्मति कराकर इसके सुचारू रूप से संचालन हेतु E.o.I. निकाला गया, जिसमें प्रथम बार किसी Agency के द्वारा भाग नहीं लिया गया। पुनः E.o.I निकाला गया है। (iii) बाँयीं मुख्य नहर साइफन के एक Joint से लिकेज हो रहा है। मरम्मति का कार्य प्रारम्भ है, जिसे 30 जून 2013 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। (iv) दोनों मुख्य नहर से निःसृत 9 वितरणियों से भू–अर्जन का कार्य भुगतान की स्थिति में है। (v) शेष 4 वितरणियों की भू–अर्जन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। जिसे पूरा होने में लगभग 6 महीने लगेगें। (vi) साइफन से लिकेज के कारण LMC से	(i) E.o.I. का शीघ्र निष्पादन कर गेट मरम्मति का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराया जाय। अगर पुनर्निविदा नही प्राप्त होती है तो E.o.I. की कुछ शर्त्तों को शिथिल किया जाय। (ii) आगामी मानसून के पूर्व साइफन लिकेज को हर हालत में ठीक कराया जाय ताकि सिंचाई कार्य में कोई बाधा न हो। (iii) दोनों मुख्य नहरों का कार्य हर प्रकार से पूर्ण करने हेतु 30 जून तक निविदा आमंत्रित की जाय। (iv) मुख्य अभियंता, राँची भू–अर्जन प्रक्रिया का सतत् मोनिटरिंग करें। तथा क्षेत्रिय पदाधिकारियों द्वारा पूरा सहयोग करने हेतु उन्हें निदेशित करें। (v) अपरशंख जलाशय योजना में शामिल शेष वन भूमि अपयोजन के लिए क्षतिपूरक गैर

सिंचाई नहीं हो रहा है। (vii) मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि दोनों नहरों का कार्य पूर्ण करने के लिए Comprehensive तैयार किया जा रहा है। जिसके आधार पर निविदा निकाली जायेगी। LMC का Estimate अधीक्षण अभियंता को उपलब्ध कराया गया है। दोनों दिनों में इनके द्वारा मुख्य अभियंता को भेज दिया जायेगा। RMC का Estimate कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर अधीक्षण अभियंता को भेजा जायेगा।	वनभूमि (10 हे०) हेतु गुमला में चिन्हित लैंड बैंक में से प्रस्ताव दिया जाय। DFO से व्यक्तिगत रूप से मिलकर शेष वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव तैयार किया जाय एवं वन विभाग को समर्पित किया जाय। (vi) निर्धारित सिंचाई लक्ष्य के लिये मुख्य अभियंता Work Plan तैयार करेंगे और Schedule के अनुसार कार्य पूर्ण करायेंगे। (vii) योजना के CAD का कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्रवाई की जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची / अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गुमला)**

(18) खतवा वीयर योजना का पुनर्स्थापन कार्य (जिला – गुमला, प्रखण्ड – गुमला)

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू० 60.44 लाख है।
- वर्ष 2012–13 तक व्यय – रू० 43.65 लाख
- वर्ष 2013–14 में उपलब्ध आवंटन – रू० 3.25 लाख
- मई 2013 तक व्यय – रू० 0.00 लाख
- सिंचाई क्षमता – 300 हेक्टेयर

मुख्य अभियंता, राँची द्वारा योजना पूर्ण हो जाने की सूचना दी गयी है।	**निदेश –** (i) आगामी खरीफ में पूर्ण क्षमता में सिंचाई उपलब्ध करायी जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची)**

(19) रामरेखा जलाशय योजना (जिला –सिमडेगा, प्रखण्ड –सिमडेगा)

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू० 5386.87 लाख (12.03.2003)
- वर्ष 2012–13 तक व्यय – रू० 5001.75 लाख
- वर्ष 2013–14 में उपलब्ध आवंटन – रू० 131.50 लाख
- मई 2013 तक व्यय – रू० 0.00 लाख
- कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य – वर्ष 2013–14
- सिंचाई क्षमता – 4000 हे०

कार्य की प्रगति –	**निदेश –**
(i) शीर्ष कार्य पूर्ण है। बाँयीं मुख्य नहर का कार्य पूर्ण है। दाँयीं मुख्य	(i) मुख्य अभियंता, राँची संवेदक के साथ दिनांक 19.06.2013 की बैठक में संवेदक

नहर (642 चेन) में 221 चेन तक कार्य पूर्ण है 89 से संरचना का निर्माण कराना है, जिसमें 34 outlet है। इससे 6 कि0मी0 तक सिंचाई दी जा सकेगी। दोनों मुख्य नहरों का भू–अर्जन हो गया है तथा Possession दे दिया गया है। (ii) बाँयीं मुख्य नहर के दोनों वितरणी का IR स्वीकृत है। दाँयीं मुख्य नहर के चार वितरणी में से 3 वितरणी का IR स्वीकृत है। इसमें धारा–4 हेतु मापी की जा रही है। शेष एक वितरणी लोहार टोली में विवाद है। (iii) मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि 20–22 दिनों से कार्य बन्द है। 19.06.2013 को संवेदक के साथ बैठक निर्धारित किया गया है।	को कार्य शीघ्र पूरा करने का निदेश दें तथा संवेदक कार्य पूरा करेंगे अथवा नहीं इसका निर्णय 30.06.2013 तक लेकर विभाग को सूचित करें। योजना को दिसम्बर 2013 तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। (ii) मुख्य अभियंता, राँची अपने स्तर से समीक्षा करेंगे और योजना के पूर्ण करने का Strategy तय करेंगे तथा विभाग को अवगत करायेंगे। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०,राँची)**

(20) कंसजोर जलाशय योजना का ERM कार्य (जिला – सिमडेगा , प्रखण्ड – सिमडेगा)

- प्रशासनिक स्वीकृति. – रू0 110. लाख
- वर्ष 2012–13 तक कुल व्यय – रू0 59 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन (ERM) – रू0 0.00 लाख
- मई 2013 तक व्यय – रू0 0.00 लाख
- सिंचाई क्षमता – 3913 हेक्टेयर (फेज– I)

(i) योजना के फेज–I का कार्य पूर्ण है, Completion Report प्राप्त है। (iii) मार्च 2013 तक 3000 हे० तथा जून 2013 तक 3900 हे0 सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है।	**निदेश –** (i) मुख्य अभियंता, राँची इसकी समीक्षा करें और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सिंचाई उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०,राँची)**

(21) चिन्दा जलाशय योजना का पुनर्स्थापन कार्य (जिला –सिमडेगा , प्रखण्ड–सिमडेगा)

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू० 497.27 लाख (15.06.2009)
- सिंचाई क्षमता – 1412 हेक्टेयर

कार्य की प्रगति –	निदेश –
(i) मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण हो गया है।	(i) निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सिंचाई उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०,राँची)**

निदेश – निदेश दिया गया कि पूर्ण हो गये कार्यों का फोटोग्राफ विभाग को भेजेंगे जिसे विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाय। मुख्य अभियंता(मो०) का उत्तरदायी होगा कि सभी पूर्ण कार्यों का फोटोग्राफ विभाग के वेबसाइट पर अपलोड हो जाय। CWC के CWRIS के Site पर फोटोग्राफ अपलोड करने हेतु CWC को email किया जाय।

(22) तपकरा जलाशय योजना –

- सिंचाई क्षमता :– खरीफ – 2115 हे० रब्बी – 600 हे०

मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि योजना का ERM कार्य हेतु DPR तैयार किया जा रहा है। शीघ्र विभाग को समर्पित कर दिया जायेगा।	**निदेश –** (i) योजना के ERM कार्य का DPR CWC Guideline के अनुसार 30.07.2013 तक विभाग को समर्पित किया जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, राँची)**

(23) लरवा जलाशय योजना –

- सिंचाई क्षमता – 300 हे०
- वर्ष 2013–14 में सिंचाई उपलब्धि –

मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि योजना से पूर्ण सिंचाई क्षमता में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक मरम्मति कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। शीघ्र विभाग को समर्पित कर दिया जायेगा।	**निदेश –** योजना के पुनर्स्थापन कार्य का प्राक्कलन 25.07.2013 तक विभाग को समर्पित किया जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, राँची)**

(24) शुरू जलाशय योजना (जिला – सरायकेला खरसाँवां , प्रखण्ड –सरायकेला खरसाँवा)

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू0 9635.32 लाख (30.03.2011)
- वर्ष 2012–13 तक व्यय – रू0 2613.97 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन – शून्य
- सिंचाई क्षमता – हेक्टेयर

(i) योजना का अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु संवेदक को कार्य आवंटित कर दिया गया है। संवेदक द्वारा एकरारनामा कर लिया गया है पहले सर्वे का कार्य प्रारम्भ किया जाना है। परन्तु, प्रस्तावित निर्माण स्थल पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।	**निदेश –** 5 जुलाई को संवेदक के साथ Review meeting सचिवालय स्तर पर बुलाई जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, राँची)**

(25) सोनुआ जलाशय योजना (जिला – प0 सिंहभूम , प्रखण्ड – सोनुआ)

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू० 8265.00 लाख (23.03.2007)
- वर्ष 2012–13 तक व्यय – रू० 7488.247 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन – रू० 214.40 लाख
- वर्ष 2013–14 में व्यय – रू० 0.00 लाख
- सिंचाई क्षमता– खरीफ – 5400 हे०
  रब्बी – 2600 हे०

कार्य की प्रगति –	निदेश –
(i) मुख्य नहरों का कार्य पूर्ण है। (ii) बाँयीं मुख्य नहर (LMC) के वितरणियों का भू–मुआवजा भुगतान हो रहा है। (iii) दाँयीं मुख्य नहर (RMC) के तीन वितरणियों का भू–अर्जन प्रक्रियाधीन है। (iv) मुख्य अभियंता द्वारा योजना का निरीक्षण किया गया है। बाँयीं आउटलेट से लगभग 5 क्यूसेक एवं दाँयीं आउटलेट से 20.25 क्यूसेक का रिसाव हो रहा था। बाँयीं मुख्य नहर में पानी छोड़ने पर नहर टूट सकता है। नहर पूरे सेक्सन में नहीं है। बाँयीं मुख्य नहर के 0 से 37 चेन तक नहर में पानी भरा हुआ है और जगह–जगह Overtop कर रहा है। चेन 37 पर निर्मित एक्वाडक्ट ध्वस्त होने के कागार पर है। चेन 164 पर निर्मित एक्वाडक्ट बुरी तरह क्षतिग्रस्त है।	(i) मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि योजना की स्थिति काफी खराब है एवं इसमें Massive मरम्मति कार्य कराने की आवश्यकता है। श्रेष्कर होगा कि इस योजना पर CSG की बैठक में विचार विमर्श किया जाय। (ii) योजना के वनभूमि अपयोजन हेतु प्रस्ताव शीघ्र समर्पित करने हेतु समुचित कार्रवाई की जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, राँची/मु०अ०, मोनिटरिंग)**

(26) नकटी जलाशय योजना (टर्न–की) (जिला – सिमडेगा , प्रखण्ड – चक्रधरपुर)

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू0 3515.910 लाख (12.03.2003)
- वर्ष 2012–13 तक व्यय – रू0 3977.68 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन – रू0 10.00 लाख
- मई 2013 तक व्यय – रू0 0.00 लाख
- सिंचाई क्षमता – 2250 हे0

कार्य की स्थिति –	निदेश –
(i) शीर्ष कार्य एवं मुख्य नहरों का कार्य पूर्ण है। (ii) योजना में एक ही मुख्य नहर है, जिसका कार्य पूर्ण है।	(i) 30.06.2013 तक योजना का कार्य पूर्ण कराकर विभाग को सूचित किया जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, राँची)**

(iii) मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि संवेदक के द्वारा योजना का अवशेष कार्य 30.06.2013 तक पूर्ण कर दिया जायेगा एवं योजना का उदघाटन जुलाई के प्रथम सप्ताह में कराया़ जा सकता है।	

(28) राजस्व वसूली –

(i) ए०सी०सी० झींकपानी द्वारा औद्योगिक जल लिया जा रहा है। जिसके विरूद्ध जलकर का भुगतान किया गया है, परन्तु एकरारनामा अभी तक नहीं किया गया है। (ii)	**निदेश** – (i) राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा अवश्य की जाय। (iii) सरकार द्वारा अनुमोदित Modular Agreement के अनुरूप ही Agreement किया जाय। **(कार्रवाई : डॉ0 डी0के0 सिंह, अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, राँची)**

29. सिंचाई की समीक्षा

(i) पूर्ण सिंचाई योजनाओं का आवश्यक मरम्मति कार्य हेतु सभी प्राक्कलन अभी तक विभाग को नही प्राप्त हुए है। (ii) भवन मरम्मति का नया प्रस्ताव विभाग को नहीं प्राप्त हुआ है।	**निदेश** – (i) पूर्ण सिंचाई योजनाओं के मरम्मति एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय। (ii) मरम्मति हेतु प्राक्कलन समर्पित किया जाय। (iii) गेट मरम्मति हेतु मुख्य अभियंता, याँत्रिक, राँची शीघ्र कार्रवाई करेंगे। (iv) भवन पुनर्स्थापन कार्य हेतु राशि उपलब्ध कराया जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, राँची / मु०अ०, मोनिटरिंग)**

30. नये नियुक्त कनीय अभियंताओं को क्षेत्रीय स्तर पर 1 जुलाई से एक सप्ताह का Training दिया जाय। कार्य स्थल का भ्रमण भी कराया जाय। इसके पश्चात् विभाग के स्तर पर एक सप्ताह की Training दी जायेगी।

बैठक में दिये गये निदेशों का अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

ह०/–

(बी0 सी0 निगम)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/PMC/कार्य–94/11..राँची, दिनांक :– ....

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, धुर्वा, राँची/मुख्य अभियंता यांत्रिक, जल संसाधन विभाग, राँची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/ संयुक्त सचिव (प्रबन्धन)/उप सचिव, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गुमला/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, चाईबासा/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई यांत्रिक अंचल राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एंव मोनिटरिंग अंचल–1, 2 एवं 3 जल संसाधन विभाग राँची/अधीक्षण अभियंता, रूपांकण, आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, राँची/विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित। (email से)

Sd/-
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक :– 2/PMC/कार्य–94/11..राँची, दिनांक :– ....

प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के सलाहकार (जल संसाधन) के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची/ अभियंता प्रमुख–I, के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/-
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक :– 2/PMC/कार्य–94/11.....533.....राँची, दिनांक :– 25-6-2013

प्रतिलिपि :वेब मैनेजर, वेबसाइट, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर up load करने हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता